29.10.24 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में उभय पक्ष की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अ.धा. 212 R.T.Act का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

[signature]

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश

प्रार्थना पत्र संख्या ::– 66 / 2021

1. केशीबाई पत्नि माधुलाल जी जाति रेगर निवासी बलवन्तनगर तह0 बेगूँ
2. काशीराम पिता सेवालाल जी जाति रेगर निवासी पाडावास तह0 बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

श्यामलाल पिता मोहनलाल जी जाति खटीक (पहाडिया) निवासी बेगूँ हाल मुकाम तिरूपति रिसोर्ट भवरिया तहसील बेगूँ

विपक्षी

उपस्थित ::– श्री विजय प्रकाश शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री सुरेश चन्द्र टेलर
अधिवक्ता विपक्षी

आदेश दिनांक ::– 29.10.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि प्रार्थीग्ण द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राज0टी0एक्ट का न्यायालय श्रीमान में पेश किया है, जो इतने ठोस तथ्यो पर अधारित है जो अवश्यक ही प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होगा लेकिन उसके निस्तारण में समय लगने की संभावना होने से तब तक विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष पेश है।

यह कि मौजा माण्डना पटवार हल्का सुवाणिया तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ में निम्न कृर्षि आराजीयात प्रार्थी सं0 1 के अकेले के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है उक्त कृर्षि आराजीयात प्रार्थी सं0 1 के स्वामित्व व आधिपत्य की होकर उपयोग उपभोग की है जिसका विवरण निम्न है। सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 40 में अंकित आराजी संख्या 759 / 66 रकवा 0.8090 हैक्टर भूमि राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है एवं मौजा माण्डना पटवार हल्का सुवाणिया तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ में निम्न कृर्षि आराजीयात प्रार्थी संख्या 2 के अकेले के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है उक्त कृषि आराजीयात प्रार्थी संख्या 2 के स्वामित्व व आधिपत्य की होकर उपयोग उपभोग की है जिसका विवरण निम्न है संवत 2072–75 खाता संख्या 27 में अंकित 66 / 1 रकबा 0.8090 हैक्टर कुल कीता–1 कुल रकबा 0.8090 हैक्टर भूमि राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है उपयोग उपभोग कर रहे है इस प्रकार प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है।

यह कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के तन्हा स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में आ रही है लेकिन विपक्षी के मन में बदनियती आ जाने से प्रार्थीगण के हक स्वामित्व व खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने का अनुचित प्रयास कर रहा है तथा प्रार्थीग्ण की उक्त कृषि आराजीयात पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर प्रार्थीगण के खेत की मेड को समाप्त कर अपनी भूमि में मिलाने हेतु आमादा है इस हेतु विपक्षी दिनांक 22.06.2021 को प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र में वर्णित कृर्षि आराजीयात पर आया और प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात पर आया और प्रार्थीगण के खेत की मेड को हाकने लगा जिस पर प्रार्थीगण ने उसे ऐसा करने से मना किया तो विपक्षी लडाई झगडा करने लगा और प्रार्थीगण को धमकी दी कि तुम्हे तुम्हारी जमीन से बेदखल करूगां व तुम्हारी भूमि को मै अपनी भूमि में मिलाउंगा तुम मुझे नहीं जानते हो मै बहुत ही ताकतवर व पैसे वाला हूँ। इस प्रकार विपक्षी प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि पर दखलंदाजी उत्पन्न कर रहा है जिसका की उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है।

यह कि विपक्षी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित प्रार्थीगण की भूमि पर स्थित मेड को नहीं हांके व किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करे न करावे, और प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृर्षि आराजीयात प्रार्थीगण के तन्हा स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है जिस पर विपक्षी सं. 1 अवैध रूप से कब्जा कर अपनी भूमि में मिलाने पर आमादा है यदि विपक्षी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो प्रार्थीगण के हक अधिकार समाप्त हो जावेगें। दिनांक 22.06.2021 को विपक्षी प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र में वर्णित कृर्षि

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौडगढ़)

राजीयात पर आया और प्रार्थीगण के खेत की मेड को हाकने लगा जिस पर प्रार्थीगण ने उसे ऐसा करने से मना किया तो विपक्षी लडाई झगडा करने लगा और प्रार्थीगण को धमकी दी कि तुम्हे तुम्हारी जमीन से बेदखल करूगां व तुम्हारी भूमी को मै अपनी भूमि में मिलाउंगा इस प्रकार विपक्षी के द्वारा दी गई धमकी के अनुसार अगर प्रार्थीगण की जमीन को विपक्षी अपनी भूमि में मिला देता है तो बेवजह बमुकदमा बाजी बडेगी एवं प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका अर्थ में मुल्याकंन किया जाना संभव नहीं हैं।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादपत्र के निस्तारण तक उक्त प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित खाता खतौनी संख्या 40 में अंकित आराजी संख्या 759/66 रकबा 0.8090 हैक्टर एवं खाता संख्या 27 में अंकित आराजी नम्बर 66/1 रकबा 0.8090 हैक्टर कुल किता–1 कुल रकबा 0.8090हैक्टर भूमि में प्रार्थीगण के निहित हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में शातिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करें न अपने नौकर एजेन्ट आदि करावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी की ओर से मूल वाद में अधिवक्ता श्री सुरेशचन्द्र टेलर द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए इस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए जवाब में निवेदन इस प्रकार से किया कि कलम संख्या 1 के अनुवसार प्रार्थीगण ने न्यायालय श्रीमान में वाद अवश्यक प्रस्तुत हुआ है किन्तु वह असत्य कथनो एवं गलत तथ्यों पर अधारित होने से खारिज होने योग्य है। वास्त निस्तारण में भी समय लगने वाला नहीं है।

यह कि कलम संख्या 2 के अनुसार प्रार्थीगण का राजस्व रेकार्ड में नाम अंकित होने मात्र से यह नहीं माना जा सकता है कि मौक पर प्रार्थीगण का कब्जा भी हो। प्रार्थीगण का माकै पर कोई कब्जा नहीं है। प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में मौके पर कोई कब्जा नहीं हैं। प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में मौके पर कब्जा करना चाहते है। प्रार्थीगण वाद वर्णित भूमि के केता है लेकिन वह केवल कागजो में है। मौके पर प्रार्थीगण को न तो कब्जा सौपा गया एवं न ही इनका कब्जा है। कब्जा संपूर्ण भूमि पर विपक्षी का है। विपक्षी से वाद वर्णित भूमि से कब्जा छीनने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। स्पष्टीकरण विशेष कथन में वर्णित है। प्रार्थीगण के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है।

यह कि कलम संख्या 3 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण का मौके पर कोई कब्जा नहीं है। दिनांक 22.06.2021 को मौके पर प्रार्थीगण आये ही नहीं। कब्जा सम्पूर्ण मूल आराजी पर विपक्षी का है। मोके पर विपक्षी की टूयूबवेल लगी हुई है जिससे विपक्षी फसल की पिलाई करता है। सुविधा का सन्तुलन विपक्षी के पक्ष में है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण का कलम संख्या 2 में वर्णित भमि पर कोई कब्जा नहीं है। मौके पर प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात पर विपक्षी का कब्जा हैं।प्रार्थीगण ने यह गलत प्रार्थना पत्र व वादपत्र स्थगन आदेश की आड में कब्जा छीनने की गरज से प्रस्तुत किया है।

यह कि कलम संख्या 6 गलत होकर अस्वीकार है। मौके पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है। कई वर्षो से विपक्षी का कब्जा निरन्तर निर्वाध रूप से चला आ रहा है जिसे करीब 13 वर्ष हो गये है। प्रार्थीग्ण कब्जा चाहते है तो विधिक वादपत्र प्रस्तुत करें।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 7 गलत होकर अस्वीकार है। मौके पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा न तो था एवं न ही है इसलिए प्रार्थीगण को अपूर्तनीय हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जवाब के विशेष कथन में निवेदन किया कि वाद वर्णित कृषि आरीयात प्रार्थीगण द्वारा बेनामी विक्रय पत्र से इस आशा से क्रय की गई कि खाताधारियो से विक्रय पत्रो की रजिस्ट्री करा ले व कब्जा ताकत के बल पर ले लेगें। लेकिन कब्जा प्राप्त करने में सफल नहीं हुए तो यह झूंठा वादपत्र व प्रार्थना पत्र स्थाई एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर दिया। प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में विपक्षी से कब्जा छीनना चाहते है जिसका कानूनन इन्हें कोई अधिकार नहीं है।

अतःश्रीमान से प्रार्थना है कि विपक्षी का जवाब स्वीकार फरमा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में जवाब विपक्षी की ओर से प्रस्तत होने के पश्चात प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुनी गई। बहस में अधिवकता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस को प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया तथा कहा कि प्रार्थीगण खातेदार है विपक्षी को किसी प्रकार का

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह अधिकार नहीं है कि वे प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करे या कब्जा करने की धमकी देवे। निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को पाबंद करें। बहस में अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए भूमि पर कब्जा विपक्षी का ही होने का कथन अपनी बहस में करते हुए इस प्रार्थना पत्र व दावा पत्र की आड में कब्जा प्राप्त करने हेतु इस प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किया जाना बताया गया है। अधिवक्ता विपक्षी ने प्रथम दृष्टया मामला विपक्षी के पक्ष में सिद्ध होना व सुविधा का सन्तुलन भी कब्जा काश्त विपक्षी का होने से उनके पक्ष में बताते हुए जब भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त ही नहीं है तो उन्हें किस प्रकार की अपूर्तिय क्षति नहीं होती है। इस प्रकार अधिवक्ता विपक्षी ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वत्व खारिज करने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

इस प्रार्थना पत्र पत्रावली में विपक्षी द्वारा सी.पी.सी. आदेश 39 नियम 7 के तहत मौका कब्जा हेतु मौका कमिश्नर रिपोर्ट तलब किये जाने हेतु आवेदन किया था जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजी पर कब्जे के सम्बन्ध में कमिश्नर रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट में मौका कमिश्नर ने बताया कि ग्राम माण्डना की आराजी नम्बर 759/66 रकबा 0.809 हैक्टर भूमि केशीबाई पत्नी माधुलाल रेगर निवासी बलवंतनगर 760/66 रकबा 0.809 हैक्टर श्यामलाल पहाडिया पिता मोहनलाल खटीक निवासी बेगूँ एवं आराजी नम्बर 66/1 रकबा 0.809 काशीराम पिता सेवा रेगर निवासी पाडावास के नाम पर दर्ज है। मौके पर तीनो आराजयात के [illegible] कच्चे पत्थर कोट द्वारा चारदीवारी हो रखी है। आराजी नम्बर 759/66 में एक ट्यूब वैल है जिस पर विद्युत कनेक्शन का बिल श्यामलाल पिता मोहनलाल खटीक के नाम पर आता है। आराजी नम्बर 66/1 में भी एक ट्यूबवैल है जिस पर विद्युत कनेक्शन का बिल केशीबाई पत्नी माधुलाल रेगर के नाम पर आता है। आराजी नम्बर 760/66 पर खातेदार प्रतिवादी ने लोहे की फाटक लगा रखी है। आराजी नम्बर 66/1 में भी लोहे की फाटक लगी है। जिस पर दोनो पक्ष अपना अपना दावा करते है। मौके पर भूमि पडत है। पर्चामौका भूमि की कमिश्नर रिपोर्ट के साथ नय नजरी नक्शा जो पर्चामौका रिपोर्ट पर अंकित किया है का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी आदि दस्तावेज का भी हमारे द्वारा गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु मुख्य तीन बिन्दूओं पर निस्तारण किया जाना होता है, जो दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार निम्न प्रकार से किया जाता है:-

1- <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :-

प्रार्थना पत्र पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा माण्डना प0ह0सुवाणिया सम्वत 2072 से 75 का अवलोकन किया गया जिसमें दर्ज आराजी संख्या 759/66 रकाब 0.8090 हैक्टर भूमि की खातेदार श्री केशीबाई पत्नि माधुलाल रेगर सा.बलवन्तनगर दर्ज अंकित है। इसी प्रकार नकल जमाबंदी मौजा माण्डना प0ह0 सुवाणिया सं0 2072 से 75 में दर्ज आराजी संख्या 66/1 रकबा 0.809 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री काशीराम पिता सेवा रेगर सा. पाडावास दर्ज अंकित है। उक्त कृषि भूमियों के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है, पत्रावली में मंगवाई गई मौका कमिश्नर रिपोर्ट के अवलोकन एवं पर्चामौका के अवलोकन से पाया जाता है कि आराजी संख्या 66/1 व 759/66 के मध्य में आराजी संख्या 760/66 की कृषि भूमि विपक्षी की है, तथा पर्चा मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार विपक्षी श्यामलाल द्वारा जो अपनी कृषि भूमि के लिए ट्यूबवैल खोद रखी है वह प्रार्थीया केशीबाई के खाते की भूमि आराजी संख्या 759/66 पर लगाया जाना उल्लेखित किया हुआ है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी की कृषि आराजी जो कि मूल आराजी संख्या 66 का भाग होकर अलग अलग नम्बरान से दर्शाया हुई कृषि आराजी है, जिसमें सीमांकन विवाद स्पष्ट होता है। चूँकि प्रार्थीगण खातेदार है, जिनकी कृषि आराजी में जबरन दखलंदाजी करने का अधिकार विपक्षी को नहीं है, वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एफ आई आर नम्बर 174/22 राज्य बनाम श्यामलाल के विरूद्ध धारा 447, 427 व 434 आई पी सी में की गई कार्यवाही की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण व विपक्षी के मध्य आपस में इन कृषि आराजी को लेकर झगडा हुआ है, पत्रावली मे प्रस्तुत विद्युत बिल का भी अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, चूँकि प्रार्थीगण कृषि आराजी संख्या 759/66 रकबा 0.8090 हैक्टर भूमि आराजी नम्बर 66/1 रकबा 0.809 भूमि के खातेदार है, जिनकी कृषि भूमि पर विपक्षी को जबरन प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजी की सुरक्षा हेतु विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहते है जिसका उनको पूर्ण अधिकार है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ़)

सुविधा का सन्तुलन ::–

मौजा माण्डना प0ह0 सुवाणिया की कृषि आराजी संख्या 759/66 रकाब 0.8090 हैक्टर भूमि की खातेदार प्रार्थीया केशीबाई पत्नि माधुलाल रेगर है तथा आराजी संख्या 66/1 रकबा 0.8090 हैक्टर भूमि के खातेदार प्रार्थी काशीराम पिता सेवा रेगर सा0 पाडावास है, जिनका अपनी अपनी कृषि भूमि पर कब्जा काश्त होकर पत्थर की कच्ची कोट की हुई है तथा प्रार्थीया केशीवाई की कृषि भूमि पर लोहे की फाटक लगी होना तथा विपक्षी श्यामलाल की कृषि भूमि पर लोहे की फाटक लगी हुई होने का उल्लेख मौका कमिश्नर रिपोर्ट पर है, चूँकि प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजी पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का होकर भूमि वे उपयोग उपभोग कर रहे है, जबकि विपक्षी श्यामलाल की कृषि भूमि इन दोनो ही प्रार्थीगण के मध्य में स्थित है, तथा विपक्षी श्यामलाल द्वारा अपनी कृषि को सिंचित करने हेतु जो ट्यूबवैल लगवाई है वह प्रार्थी की कृषि आराजी में लगाये जाने का उल्लेख मौका कमिश्नर रिपोर्ट में अंकित किया है, प्रार्थीगण एवं विपक्षी के मध्य कृषि भूमि की सीमा को लेकर आपसी विवाद है। विपक्षी प्रार्थीगण की कृषि भूमि में किसी प्रकार से दखलंदाजी नही करने हेतु मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे एवं अनावश्यक का विवाद मौके पर उत्पन्न न तो स्वयं करें न ही अन्य किसी से करावें। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।

3– अपूर्तनीय क्षति ::–

चूँकि मौजा माण्डना प0ह0 सुवाणिया की कृषि आराजी संख्या 759/66 रकाब 0.8090 हैक्टर भूमि की खातेदार प्रार्थीया केशीबाई पत्नि माधुलाल रेगर है तथा आराजी संख्या 66/1 रकबा 0.8090 हैक्टर भूमि के खातेदार प्रार्थी काशीराम पिता सेवा रेगर सा0 पाडावास होकर अपनी अपनी कृषि भूमि पर कृषि कार्य करते हुए भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है, विपक्षी द्वारा यदि प्रार्थीगण की कृषि आराजी में जबरन प्रवेश करते हुए दखलंदाजी कर प्रार्थीगण की कृषि आराजी पर कब्जा किया जाता है तो निश्चित ही प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। इस प्रकार यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध किया जाता है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु तीनों ही मुख्य बिन्दु दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हुए है, चूँकि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है, जिन्हें अपनी कृषि भूमि की रक्षा किये जाने का पूर्ण अधिकार है, विपक्षी वर्णित कृषि भूमियों के पाडोसी कृषक है, जिन्हे अपने हक की कृषि भूमि पर ही कृषि कार्य किये जाने का अधिकार है। इस प्रकार प्रार्थीगण विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकार रखते है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। विपक्षी श्यामलाल पिता मोहनलाल खटीक निवासी बेगूँ को मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थीगण की कृषि आराजी मौजा माण्डना प0ह0 सुवाणिया की आराजी संख्या 759/66 रकबा 0.8090 हैक्टर एवं आराजी संख्या 66/1 रकबा 0.8090 हैक्टर भूमि के निहित हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में प्रार्थीगण के शाांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करें न अपने नौकर एजेन्ट आदि से करावें।

आदेश आज दिनांक 29.10.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ